न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेरवाडा जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विनोद कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 02/2017

दायर तारीख : 16/1/2017
निर्णय दिनांक : 21/6/2017
न्याय आपके द्वार केम्प : बलिचा

श्री कान्तिलाल पिता नाना जाति भील निवासी गदुनिया तहसील खेरवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा

धारा 88 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा संपठित धारा 136
राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956

उपस्थित :
वादी की ओर से : कान्तिलाल
प्रतिवादी की ओर से : राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारी तहसीलदार खेरवाडा

–:: निर्णय ::–

वादी कान्ति पिता नाना ग्राम गदुनिया पटवार हलका बलीचा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर द्वारा वाद पेश किया गया कि जिसमें जमाबन्दी सम्वत 2070 से 73 में खाता संख्या नया 119 पुराना 104 में उसके पिता जिनका नाम नाना भील पिता लालु है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम नाना की जगह कावा दर्ज हो गया है यह बताया गया कि ऐसा भू–प्रबन्ध के समय गलती से दर्ज हो गया है।

सजरा इस प्रकार की

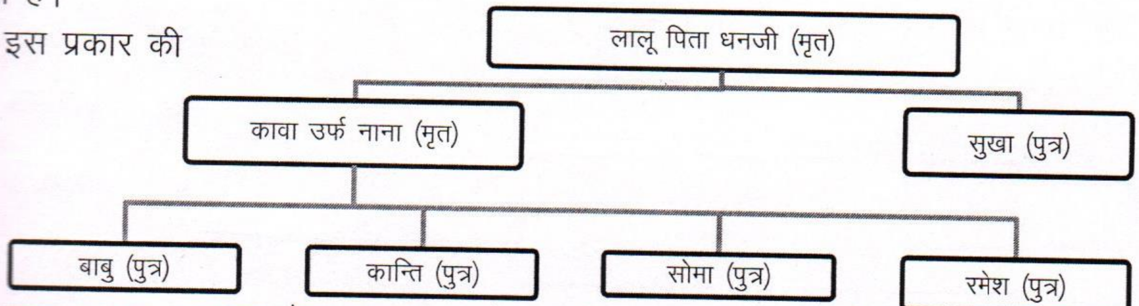

प्रकरण आज राजस्व केम्प न्याय आपके द्वार में पेश हुआ कावा उर्फ नाना के प्रकरण में दर्ज चार वारिस जो उसके पुत्र है जिनके बयान दर्ज किये गये । मृत कावा/नाना की पत्नि के बयान दर्ज किये गये साथ ही कावा के भाई सुखा जो 1/2 हिस्सेदार दर्ज है उसके बयान दर्ज किये गये के बयान दर्ज किये गये ।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार खेरवाडा की रिपोर्ट एंव उक्त सभी गवाहों एवं प्रकरण से सम्बन्धित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर यह समझा गया कि कावा एवं नाना एक ही व्यक्ति हैं अतः प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम परिवर्तन करना उचित रहेगा।

तहसीलदार खेरवाडा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में परिवर्तन कर अमल दरामद करें।

पत्रावली में यह निर्णय खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर बलीचा में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखील दफ्तर हो ।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाडा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)